न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट टहला)

वाद संख्या :– 02 / 97 / 2017

<u>रामकृपाल बनाम श्रीकृष्ण</u>

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 27.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट टहला पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 06.09.2017 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 637 / 0.10, 638 / 2256 / 0.17, 634 / 0.51, 635 / 0.12 है. वाके ग्राम टहला तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 24.10.2017 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी का बेचान नहीं करें तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थीगण उपस्थित न्यायालय आये व उनकी ओर से जवाब पेश नहीं किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2072–75 खाता संख्या 6, 407, 304 वाके टहला के अंकित इन्द्राज के अनुसार आराजी विवादित खाता संख्या 407 में खसरा नम्बर 637 / 0.10 अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है तथा खाता संख्या 6 खसरा नम्बर 638 / 2256 / 0.17 किस्म गैर मुमकिन आबादी है व अन्य खाता संख्या 304 में अंकित आराजी खसर नम्बर 634 व 635 प्रार्थीगण की खातेदारी में है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार योग्य है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 637 / 0. 10, 638 / 2256 / 0.17, 634 / 0.51, 635 / 0.12 है. वाके ग्राम टहला तहसील राजगढ अस्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 06.09.2017 का प्रचलन निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 को कैम्प कोर्ट टहला पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट टहला)